झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।

271/22-02-13

संकल्प

विषयः– श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्राणाधीन राज्य में कार्यरत गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन / परीक्षा / मूल एवं द्वितीयक औपबंधिक राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र / मूल एवं द्वितीय राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र शुल्क, अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं के संचालन एवं केन्द्रीयकृत मुल्यांकन हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक की दरों में संशोधन के संबंध में।

राज्य में कार्यरत गैर सरकारी औ0प्र0संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन / परीक्षा / मूल एवं द्वितीयक औपबंधिक राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र / मूल एवं द्वितीय राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र शुल्क, अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं के संचालन एवं केन्द्रीयकृत मुल्यांकन हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक की दरों में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है–

1. पंजीयन शुल्क :–

एक वर्षीय एवं दो वर्षीय व्यवसाय में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों के लिए पंजीयन शुल्क की दरें–

दर	सामान्य कोटि / पिछड़ा वर्ग इत्यादि	अनु0 जाति/जनजाति
वर्त्तमान दर	6 रू0 / प्रशिक्षणार्थी	3 रू0 / प्रशिक्षणार्थी
संशोधित दर	200 रू0 / प्रशिक्षणार्थी	100 रू0 / प्रशिक्षणार्थी

2. परीक्षा शुल्क :–

एक वर्षीय एवं दो वर्षीय व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क–

वर्त्तमान दर – 25 रू0 / प्रशिक्षणार्थी
संशोधित दर – 300 रू0 / प्रशिक्षणार्थी

3. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को औपबंधिक राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का शुल्क :–

1. वर्त्तमान दर (औपबंधिक / मूल प्रति के लिए) – 1 रू0 / प्रशिक्षणार्थी
   संशोधित दर (औपबंधिक / मूल प्रति के लिए) – 50 रू0 / प्रशिक्षणार्थी
2. वर्त्तमान दर (औपबंधिक / मूल के द्वितीयक के लिए) – 100 रू0 / प्रशिक्षणार्थी
   संशोधित दर (औपबंधिक / मूल के द्वितीयक के लिए) – 200 रू0 / प्रशिक्षणार्थी

27/22-02-13

4. **अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं के संचालन हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के मानदेय की संशोधित दरें :-**

क्र0	मद / Item	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1	परीक्षा परिषद के अध्यक्ष (संस्थान स्तरीय)	–	रू0 80=00 प्रतिदिन
2	केन्द्राधीक्षक	–	रू0 60=00 प्रतिदिन
3	पर्यवेक्षक	–	रू0 100=00 प्रतिदिन + नियमानुसार परिवहन / यात्रा भत्ता
4	वीक्षक	–	रू0 40=00 प्रति पाली / दिन
5	लिपिक एवं अन्य तृतीय वर्ग के कर्मी	–	रू0 30=00 प्रति पाली / दिन
6	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एवं समकक्ष	–	रू0 24=00 प्रति पाली / दिन
7	प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षक	–	रू0 20=00 प्रति प्रशिक्षणार्थी (तीन दिन के लिए)। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होने की स्थिति में कम से कम 150=00 रू0 प्रति व्यवसाय।
8	प्रायोगिक परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षक	–	रू0 02=00 प्रति प्रशिक्षणार्थी (तीन दिन के लिए)।
9	उड़नदस्ता	–	रू0 200=00 प्रति दिन + नियमानुसार परिवहन / यात्रा भत्ता।

5. **अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीयकृत मुल्यांकन हेतु संशोधित दरें :-**

क्र0	मद / Item	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1	राज्य स्तरीय परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के चयनकर्त्ता का पारिश्रमिक	–	रू0 250=00 प्रति व्यवसाय का प्रति विषय हेतु।
2	प्रश्न-पत्रों का मॉडरेशन	–	रू0 75=00 प्रति व्यवसाय का प्रति विषय हेतु।
3	कोडिंग एवं डिकोडिंग	–	रू0 60=00 प्रति 100 प्रशिक्षणार्थी।
4	उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षक का पारिश्रमिक दर	रू0 1=00 प्रति उत्तर पुस्तिका।	रू0 10=00 प्रति उत्तर पुस्तिका।
5	मुख्य परीक्षक का पारिश्रमिक दर	–	रू0 01=00 प्रति उत्तर पुस्तिका।
6	"सी0" फार्म में प्राप्तांक के अंकन का पारिश्रमिक दर	–	रू0 01=00 प्रति प्रशिक्षणार्थी।
7	मुल्यांकन निदेशक का पारिश्रमिक	–	रू0 500=00 प्रति दिन (मूल्यांकन अवधि तक)।
8	समन्वयक का पारिश्रमिक	–	रू0 100=00 प्रति दिन।

21-2-13

 271/22-02-13

1. संशोधित दरें जुलाई 2013 में सम्मिलित होनेवाले छात्रों से प्रभावी होंगी।
2. मानदेय की दरें आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगी।
3. इस निर्णय पर दिनांक–20/12/2012 को मद संख्या–09 के रूप में सम्मिलित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
4. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
5. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की सामान्य जानकारी हेतु इसे सरकारी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन

(प्रधान सचिव)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 5/प्रशि0(मूल्यांकन)–504/2009–271 राँची/दिनांक 22-02-13

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त झारखण्ड / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रधान सचिव)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 5/प्रशि0(मूल्यांकन)–504/2009–271 राँची/दिनांक 22-02-13

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / उप–निदेशक प्रशिक्षण (मु0) / उप–निदेशक प्रशिक्षण, राँची एवं दुमका / परीक्षा नियंत्रक, हेहल, राँची / सहायक निदेशक प्रशिक्षण (मु0) / सहायक निदेशक प्रशिक्षण, आदित्यपुर / सहायक निदेशक प्रशिक्षण, जमशेदपुर / सहायक निदेशक प्रशिक्षण, हेहल, राँची / सहायक निदेशक प्रशिक्षण, दुमका / निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के सभी पदाधिकारी एवं सहायक / प्रतिनियुक्त लिपिक / बजट शाखा (प्रशिक्षण पक्ष) / बजट शाखा (सरकार पक्ष) / विधि, स्थापना एवं नियुक्ति पटल (प्रशिक्षण पक्ष) / सभी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (लघु एवं महिला सहित) एवं सभी प्राचार्य गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / केन्द्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रधान सचिव)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 5/प्रशि0(मूल्यांकन)–504/2009–271 राँची/दिनांक 22-02-13

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / राज्यपाल के परामर्शी, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड राँची के विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, के सचिव श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रधान सचिव)

सरकार के प्रधान सचिव।